

कार्यालय जनपद न्यायाधीश रुद्रप्रयाग ।

पत्रांक: 927 / कम्प्यूटर नीलामी दिनांक: रुद्रप्रयाग: अक्टूबर 17, 2014.
24

नीलामी सूचना ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि जजशिप रुद्रप्रयाग में वर्ष 2002, 2003, 2004, एवं 2008 में कय किये गये कम्प्यूटरों एवं सहवर्ती उपकरणों के साथ-2 फोटोकापियर मशीन फैंक्स मशीन आदि उपकरणों की नीलामी दिनांक 10.11.2014 को जजशिप रुद्रप्रयाग के प्रांगण में की जानी है। इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस पर नजारत अनुभाग में नीलामी की समस्त शर्तों के अवलोकन एवं उक्त उपकरणों के निरीक्षण कर सकते हैं।

(मुकेश चन्द्र आर्य),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /
प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला जजी रुद्रप्रयाग ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. सिस्टम आफिसर जिला जजी रुद्रप्रयाग ।
2. नोटिस बोर्ड जिला जजी रुद्रप्रयाग ।
3. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ।
4. नोटिस बोर्ड जिला पंचायत रुद्रप्रयाग ।

Note: नीलामी सूचना हेतु जजशिप वेबसाइट
<http://ecourts.gov.in/rudraprayag> के
टेबल अपरान पर दृष्टि जा सकते हैं।

(मुकेश चन्द्र आर्य),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /
प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला जजी रुद्रप्रयाग ।

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी दिनांक 10.11.2014 को जजशिप रुद्रप्रयाग के नजारत अनुभाग के प्रांगण में सांय 4.00 बजे शुरू की जायेगी।
2. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति एवं फर्म से जमानत धनराशि मुव0 पाँच हजार रूप्ये जमा करनी होगी, जिसे दिनांक 10.11.2014 को समय 10.00 बजे से जमा किया जायेगा।
3. नीलामी में उपकरण जैसे है, जिस हालत में है, उसका निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति या फर्म द्वारा किया जा सकता है।
4. कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की बोली मुव0 15000.00(पन्द्रह हजार रूपये) से शुरू की जायेगी।
5. सर्वोच्च बोली दाता को कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण तुरन्त उसी समय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त उठाने होंगे।
6. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार भी है, कि वह बोलीदाता की बोली लगाने पश्चात कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण न उठाने की दशा में उसकी बोली निरस्त की जा सकती है।
7. नीलामी में भाग लेने हेतु अन्तिम बोलीदाता की जमानत धनराशि नीलामी की धनराशि में समायोजित की जा सकती है।
8. नीलामी प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति या फर्म की जमानत धनराशि तत्काल उसी समय नजारत अनुभाग से वापस ली जा सकती है।


(मुकेश चन्द्र आर्य),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला जजी रुद्रप्रयाग।